रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 31 मार्च, 1975
चैत्र 10, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1265/सत्रह-वि-1-126-74
लखनऊ, 31 मार्च, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 31 मार्च, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1975]
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1972

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उपधारा (1) पुनः संख्यांकित करके धारा 2 कर दी जाय, और तद्नुसार प्रारम्भ में आये हुए कोष्ठक तथा अंक "(1)" निकाल दिये जायें और उक्त धारा 2 में,—

(1) खण्ड (च) में शब्द "यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी" के पश्चात् शब्द "अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में यथा परिभाषित किसी वित्त पोषक बैंक या केन्द्रीय बैंक जो भूमि विकास बैंक न हो" बढ़ा दिये जायें;

(2) खण्ड (छ) के अन्त में शब्द "तथा इसके अन्तर्गत किसी बैंकिंग कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा वित्तीय सहायता की कोई ऐसी योजना भी है जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य पुरोनिधानित योजना घोषित करे" बढ़ा दिये जायें।

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(1) उपधारा (1) में,--

(क) खण्ड (घ) के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "राज्य सरकार" के पश्चात् शब्द "या निगम" बढ़ा दिये जायं।

(ख) शब्द "प्रबन्ध निदेशक" के पश्चात् शब्द "अथवा जहां कोई प्रबन्ध निदेशक न हो वहां निगम का अध्यक्ष, यह चाहे जिसे नाम से पुकारा जाता हो" बढ़ा दिये जायं।

(2) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायें, अर्थात्:--

"(4) उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी ऐसे अनुबन्ध की दशा में जो उक्त उपधारा में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति और राज्य सरकार या निगम के बीच हो, उक्त उपधारा के अधीन देय किसी दावाकृत धनराशि की वसूली के लिये या ऐसे दावे के सही होने के सम्बन्ध में आपत्ति करने के लिये किसी पक्ष की प्रेरणा पर कोई माध्यस्थम कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जब कभी किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी धनराशि की वसूली के लिये कार्यवाही की जाय तो वह ऐसी कार्यवाही करने वाले अधिकारी को दावाकृत धनराशि का भुगतान से विरोध कर सकता है, और ऐसा भुगतान करने पर कार्यवाही रोक दी जायगी और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की गई थी, इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि के सम्बन्ध में माध्यस्थम अनुबन्ध के अधीन अभिदेश या उसको अन्यथा प्रवृत्त कर सकता है, और ऐसे अभिदेश या प्रवर्तन के सम्बन्ध में, यथास्थिति, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 183 अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 287-क के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे सिविल न्यायालय में किसी वाद के संबंध में लागू होते हैं।

(5) इस धारा की उपधारा (4) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड अथवा यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 183 या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 287-क में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन, कलेक्टर को भेजा गया प्रत्येक प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा और उस पर किसी मूल वाद, आवेदन (जिसके अन्तर्गत माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के अधीन कोई आवेदन भी है) या माध्यस्थम के लिये किये गए किसी अभिदेश में कोई आपत्ति नहीं की जायगी, और इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई अथवा किये जाने के लिये आशयित किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं स्वीकृत किया जायगा।"

निरसन

4--उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

5--इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) में अभिदिष्ट प्रकार के सभी वाद, आवेदन और माध्यस्थम कार्यवाहियां जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विचाराधीन हों, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर उपशमित हो जायेंगी, किन्तु ऐसे उपशमन से प्रभावित व्यक्तियों के इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गई उक्त धारा 3 की उपधारा (4) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार या यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 183 अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 287-क के अनुसार किसी विवाद पर आपत्ति करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 485 सा० (विधा०)--(3949)--1976--1,834 (मे०)।

THE UTTAR PRADESH PUBLIC MONEYS, (RECOVERY OF DUES) (AMENDMENT) ACT, 1975

[UTTAR PRADESH ACT NO. 17 OF 1975]

[*Authoratative English Text of the Uttar Pradesh Lok Dhan (Deyon Ki Wasooli) (Sanshodhan), Adhiniyom,* 1975]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972 U. P. Act no. 23 of 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) (Amendment) Act, 1975. Short title.

2. Sub-section (1) of section 2 of the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be *renumbered* as section 2, and accordingly the brackets and figure "(1)" occurring in the beginning shall be *omitted,* and in the said section 2,— Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 1972.

(i) in clause (*f*), the words "or a financing bank or Central Bank as defined in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 not being a land development bank" shall be *inserted* at the end ;

(ii) in clause (*g*), the words "and includes any other scheme of financial assistance, by a banking company or a Government company, which is declared to be a State-sponsored scheme by the State Government by notification in the *Gazette*" shall be *inserted* at the end.

(For Statement of Objects and Reasons, please *see* Uttar Pradesh *Gazette* Extraordinary, dated March 1, 1975).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 12, 1975 and by the Uttar Pradesh Council on March 18, 1975).

(Received the assent of the President on March 31, 1975 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh *Gazette* Extraordinary, dated March 31, 1975)

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

(*a*) in clause (*d*), in the opening paragraph, *after* the words, "the State Government" the words "or the Corporation" shall be *inserted* ;

(*b*) *after* the words "the Managing Director" the words "or where there is no Managing Director then the Chariman of the Corporation, by whatever name called," shall be *inserted* ;

(ii) *after* sub-section (3), the following sub-sections shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted,* namely,—

"(4) In the case of any agreement referred to in sub-section (1) between any person referred to in that sub-section and the State Government or the Corporation, no arbitration proceedings shall lie at the instance of either party for recovery of any sum claimed to be due under the said sub-section or for disputing the correctness of such claim :

Provided that whatever proceedings are taken against any person for the recovery of any such sum he may pay the amount claimed under protest to the officer taking such proceedings, and upon such payment the proceedings shall be stayed and the person against whom such proceedings were taken may make a reference under or otherwise enforce an arbitration agreement in respect of the amount so paid, and the provisions of section 183 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, or section 287-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, as the case may be, shall *mutatis mutandis* apply in relation to such reference or enforcement as they apply in relation to any suit in the civil court.

(5) Save as otherwise expressly provided in the proviso to sub-section (4) of this section or in section 183 of the U. P. Land Revenue Act, 1901 or section 287-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 every certificate sent to the Collector under sub-section (1) shall be final and shall not be called in question in any original suit, application (including any application under the Arbitration Act, 1940) or in any reference to arbitration, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or intended to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act."

Repeal.

4. The Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) (Amendment) Ordinance, 1975, is hereby repealed.

Transitory provisions.

5. All suits, applications and arbitration proceedings of the nature referred to in sub-section (5) of section 3 of the principal Act as inserted by this Act, pending immediately before the commencement of this Act shall abate upon the commencement of this Act, so, however, that such abetment shall be without prejudice to the right of the persons affected to agitate any dispute in accordance with the proviso to sub-section (4) of the said section 3 as inserted by this Act or in accordance with section 183 of the U. P. Land Revenue Act, 1901 or section 287-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

PSUP—A.P. 486 Sa. (Vidha.)—3950—1976—1,852 (Mech.).